

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्तर्गत कार्मिकों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/ कर्मचारियों) के संवर्ग के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन –पत्र

1. कार्मिक के सेवा संवर्ग का प्रकार : विकास खण्ड स्तर/ जनपद स्तर/ मण्डल स्तर/ राज्य स्तर
2. कार्मिक (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/ कर्मचारी) का नाम
3. कार्मिक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)
4. पदनाम विषय
- (पदनाम में प्रवक्ता/स0अ0 एल0टी0/स0अ0 प्राथमिक/स0अ0 जूनियर/प्रधानाध्यापक प्राथमिक/प्रधानाध्यापक जूनियर/प्रधानाध्यापक हाईस्कूल/प्रधानाचार्य इण्टर कालेज का स्पष्ट उल्लेख करें)
5. वर्तमान विद्यालय/कार्यालय का नाम.....
- (सम्बद्धता की स्थिति में मूल विद्यालय/कार्यालय का नाम लिखें)
6. क्या औपबन्धिक स0अ0 प्राथमिक/शिक्षा मित्र हैं ? यदि हां तो उल्लेख करें अथवा 'नहीं' लिखें
7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता [निम्नांकित (i) से (vii) तक जो लागू हो उसके सम्मुख ✓ का निशान लगायें] :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्रता		
1	2	3
(i)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(1) के अनुसार}	
(ii)	दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवा काल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दुर्गम में स्थानान्तरण {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(2) के अनुसार}	
(iii)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(3) के अनुसार}	
(iv)	कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति-पत्नी (यथा लागू) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/ विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(4) के अनुसार}	
(v)	मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार है तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(5) के अनुसार}	
(vi)	विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकसुधा तथा वरिष्ठ कार्मिक (जिस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है उसका उल्लेख कॉलम-3 में करें) {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(6) के अनुसार}	
(vii)	सेवारत पति पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/ पुत्री विकलांग हो {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-17(ख)(तीन) के अनुसार}	

8. स्थानान्तरण हेतु विकल्प (वरीयता अनुसार) –
(विकल्प संवर्ग के अन्तर्गत के ही मान्य होंगे)

वरीयता क्रमोंक	कार्यालय/विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	कार्यालय/विद्यालय की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					

नोट: 1— अनुरोध में स्थानान्तरण हेतु जिस पात्रता के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, उससे सन्दर्भित प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र) (गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की स्थिति में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-3 (च) एवं (छ) के अनुसार प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य हैं।

2 — औपबन्धिक स0अ0 प्राथमिक/शिक्षा मित्र स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

3 — आवेदक शिक्षक/ कर्मचारी को विद्यालयी शिक्षा के पोर्टल educationportal.uk.gov.in से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4 — अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के आवेदन पत्र अनिवार्यतः दिनांक: 20 मई, 2018 तक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों / प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को अपने कार्यरत् कार्यालय/ विद्यालय के विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा अपने कार्यरत् विद्यालय के विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

5 — स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्त में अंकित टिप्पणी के अनुसार भरे हुए पदों/ कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर कार्मिक :

नाम :

पदनाम :

विषय :

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

(कार्यालय की मुहर)